


राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.1(9)वित्त/नियम/2015

जयपुर, दिनांक : 19 MAR 2021

परिपत्र

वित्त (आय-व्यय) विभाग के परिपत्र प.9(1)वित्त-1(1)आ.व्यय/2020 दिनांक 03.09.2020 के बिन्दु संख्या 1(iii) के द्वारा राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों को देय उपार्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान की नई स्वीकृतियां जारी करने पर रोक लगाई थी, उक्त रोक को तुरन्त प्रभाव से हटाया जाता है।



(जॉ. पृथ्वी)


शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार।
6. राजकीय उपक्रम ब्यूरो (सार्वजनिक उपक्रम विभाग) राजस्थान जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजकीय उपक्रम
8. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, वित्त विभाग।
9. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)।
10. प्रशासनिक सुधार विभाग (कोटीफिकेशन) पांच अतिरिक्त प्रतियों सहित।
11. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।



संयुक्त शासन सचिव

(RSR - 10/2020)


D:\Anila\All Work\K.K. Gupta\letter.docx215
राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम
प्रधान कार्यालय, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर

क्रमांक : प्र.का./प्रशा./एफ.15/विविध (कोरोना) 3443

दिनांक 22/3/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, प्रधान कार्यालय जयपुर।
2. समस्त अधिकारीगण/कर्मचारी, प्रधान कार्यालय जयपुर।
3. सहायक निदेशक (प्रशा.) प्रधान कार्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अधिकारियों/कर्मचारियों के आवेदनों पर परिपत्र के अनुसार कार्यवाही करें।
4. सहायक लेखाधिकारी (भुगतान), प्रधान कार्यालय जयपुर को स्वीकृति आदेशानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को तुरन्त भुगतान हेतु।
5. समस्त वरिष्ठ भण्डार प्रबन्धक/भण्डार प्रबन्धक/प्रभारी, राज्य भण्डारगृह।
6. नोटिस बोर्ड।


(योगेश कुमार वर्मा)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)